मा0 विधान परिषद के प्रथम सत्र 2025 के प्रथम सोमवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-35 का उत्तरालेख्य।

प्रश्न	उत्तर
35(क) ''क्या मुख्य मंत्री बतायेगें कि भवन सं0- एम.एल. 97, एम.एल. 98, व एम.एल. 91 स्थित अशोक विहार कालोनी पहड़िया के अन्तर्गत वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध निर्माण कार्य कराया गया है?	वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार अशोक विहार कालोनी फेज-2 में 35-35 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के भूतल निर्मित, आवास संख्या- एम0एल-91 श्री आफताब अहमद पुत्र श्री असफाक अहमद को आवंटित किया गया था, आवास संख्या- एम0एल0-97 श्री कृष्णानन्द पुत्र स्व0 रमानन्द सिंह को आवंटित किया गया था एवं आवास संख्या-एम0एल-98 श्रीमती खुर्शीद दुर्निसा पत्नी श्री असफाक अहमद को आवंटित किया गया था। स्थल पर निर्माणकर्ताओं द्वारा निर्मित आवास को तोड़कर पूर्व में क्रमशः जी+2, जी+3, जी+1 तलों का अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य किया गया है। प्रश्नगत निर्माण के विरूद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नोटिस निर्गत की गयी है, जिसमें सुनवाई हेतु दिनांक 28.02.2025 की तिथि नियत है।
35(ख) यदि हाँ तो नियम विरूद्ध निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कौन-कौन कार्मिक जिम्मेदार है और नियम के विरूद्ध निर्माण कार्य के कराने वालों पर क्या कार्यवाही करायेंगे ?	उपरोक्तानुसार।
35 (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री

Q--Tippani